IV 303/21

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Gaurav Lathey Stamp Vendor, Tehsil Compound Amroha, Lic. No. 40A, Code 14440704

Certificate No.	:	IN-UP94601986162661T
Certificate Issued Date	:	08-Oct-2021 03:17 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14440704/ AMROHA SADAR/ UP-JPN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1444070477951378447392T
Purchased by	:	GAURANG EDUCATIONAL TRUST AVAS VIKAS I AMROHA
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	GAURANG EDUCATIONAL TRUST AVAS VIKAS I AMROHA
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	GAURANG EDUCATIONAL TRUST AVAS VIKAS I AMROHA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,000 (One Thousand only)

VERIFIED

LOCKED BY

ANIL KUMAR DEED WRITER
Tehsil Compound Amroha
Lic.No. 10A/2016/2017

Please write or type below this line

Ashish
Lakshaena

QT 0002614507

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

ट्रस्ट डीड

" गौरांग एजूकेशनल ट्रस्ट "

प्रधान पता – आवास विकास प्रथम, निकट प्रथमा बैंक अमरोहा जिला अमरोहा उ0प्र0 पिन– 244221

Gaurang Educational Trust

Address: Avas Vikas Ist, Near Prathama Bank, Amroha, Distt. Amroha U.P, Pin 244221

आज दिनांक 6.10.2021 को मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष हृषीकेष पाण्डेय पुत्र श्री राज किशोर पाण्डेय निवासी फ्रैण्डस कालोनी किशनगढ़ अमरोहा जिला अमरोहा उ0प्र0 द्वारा गौरांग एजूकेशनल ट्रस्ट पता– आवास विकास प्रथम, निकट प्रथमा बैंक अमरोहा जिला अमरोहा उ0प्र0 पिन– 244221 का गठन किया एवं अध्यक्ष एवं प्रबंधक द्वारा सम्पादित किया गया है। जिसका विवरण न्यास पत्र में निम्नलिखित न्यास के संस्थापकगण धर्मार्थ एवं जनहित प्रयोजनार्थ न्यास गठित करते हैं। ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य आजीवन सदस्य होगें।

क0	न्यास के संस्थापक सदस्य	पद नाम
1.	हृषीकेष पाण्डेय पुत्र श्री राज किशोर पाण्डेय निवासी फ्रैण्डस कालोनी किशनगढ़ अमरोहा जिला अमरोहा उ0प्र0	अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी
2.	ललित शर्मा पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा रफातपुरा मण्डी रोड अमरोहा जिला अमरोहा	प्रबंधक
3.	मीनाक्षी पाण्डे पत्नी श्री हृषीकेष पाण्डेय निवासी फ्रैण्डस कालोनी किशनगढ़ अमरोहा जिला अमरोहा उ0प्र0	कोषाध्यक्ष
4.	मुस्कान शर्मा पत्नी श्री ललित शर्मा रफातपुरा मण्डी रोड अमरोहा जिला अमरोहा	सचिव
5.	लक्ष्मी दुबे पत्नी श्री राम नरायन दुबे लेक टाउन, नार्थ 22 परगना वैस्ट बंगाल	सदस्य

4Oct 2021

1. न्यास का नाम –" **गौरांग एजूकेशनल ट्रस्ट** "

2. प्रधान पता – आवास विकास प्रथम, निकट प्रथमा बैंक अमरोहा जिला अमरोहा उ0प्र0 पिन– 244221

3. ट्रंस्टीगणों को अधिकार होगा कि उक्त कार्यालय को परस्पर सहमति से कहीं भी स्थानान्तरित कर सकते हैं।

4. **ट्रस्ट का कोष** –

उपरोक्त रूपये 11000–00 के साथ अन्य सहयोगी राशियां एवं सम्पत्ति (चल एवं अचल) दान, अनुदान, भेंट, ब्याज, किराया, निवेश, ऋण आदि अन्य किसी भी प्रकार की आय जो न्यास को समय समय पर प्राप्त होगी ट्रस्ट का कोष मानी जायेगी।
नोट– वर्तमान समय में ट्रस्ट के पास 11000रूपये से अतिरिक्त कोई भी चल या अचल सम्पत्ति नहीं है।

5. **ट्रस्ट का उद्देश्य** –

ट्रस्टीगण भारत में सर्वसाधारण के हितों के लिए न्यास की सम्पत्ति और न्यास की आय का उपयोग करेगें। न्यास द्वारा चलने वाले सेवा कार्यो में किसी नागरिक से उसके सम्प्रदाय, जाति, पंथ, रंग, आदि के कारण भेद नहीं किया जा सकेगा और ना ही किसी विशेष पंथ, सम्प्रदाय के हितों के लिए कार्य किया जायेगा। न्यास के कार्यो का उद्देश्य किसी भी प्रकार के आर्थिक लाभ अर्जन करना नहीं होगा वरन समस्त कार्य सेवा भाव से ही किये जायेगें।

Oct 2021

किसी विशेष पंथ, सम्प्रदाय के हितों के लिए कार्य किया जायेगा। न्यास के कार्यो का उद्देश्य किसी भी प्रकार के आर्थिक लाभ अर्जन करना नहीं होगा वरन समस्त कार्य सेवा भाव से ही किये जायेगें।

6. ट्रस्टीगण ट्रस्ट फण्ड तथा ट्रस्ट पूँजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा संवर्धन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य औषधालय, शिक्षण संस्थाओं व कार्यशालाओं की स्थापना एवं संचालन व व्यवस्था हेतु धारण करेगें तथा न्यासीगणों को समय समय पर आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

7. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यासीगणों को समय समय पर भूमि का अधिग्रहण, सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं, व्यक्तियों, संस्थानों व विभागों से करने का पूर्ण अधिकार होगा। विदेशी संस्थाओं व एन0जी0ओ0 से आर्थिक सहायता प्राप्त करना व उनसे संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति करना तथा अन्य सोसाइटी व अन्य ट्रस्टों का उक्त ट्रस्ट में समायोजन करने का भी अधिकार होगा।

8. उक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगण ट्रस्ट फण्ड की आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को नीचे दिये गये उद्देश्यों में से किसी एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा में चाहें सर्वागींण रूप में प्रयोग कर सकते हैं।

9. **ट्रस्ट के कार्य एवं उद्देश्य –**

उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

Harish Lal Shah

Lalit Sharma

4Oct 2021

1. समाज में शिक्षा के विकास के लिए कार्य करना। इस निमित्त प्ले स्कूल, नर्सरी, प्राथमिक माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्कूल, कालेज, तकनीकी शिक्षण, प्राविधिक शिक्षण केन्द्र, फार्मेसी कालिज, डैंटल कालिज, लॉ कालिज, आई0आई0टी0, पोलिटैक्निक कालिज आदि शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना व उनका संचालन करना ।

2. बेरोजगार छात्र/छात्राओं की शिक्षा/प्रशिक्षण प्रदान करके उन को रोजगार प्राप्त कराने योग्य बनाना।

3. बालक/बालिकाओं को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने हेतु आवश्यक्तानुसार संस्कृत विद्यालयों की स्थापना करना तथा धार्मिक शिक्षा के साथ–साथ उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाना।

4. अनाथ बालक/बालिकाओं की शिक्षा व विकलांगों तथा विधवाओं के (भरण–पौषण) का प्रबन्ध करना, तथा गरीब और बेसहारा कन्याओं के विवाह कराने में सहायता करना।

5. ट्रस्ट द्वारा आर्युवैदिक मेडिकल कॉलेजों, हास्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, आयुर्विज्ञान संस्थान, विश्वविद्यालय, दवाखाना, सुपर स्पेशिलिटी की स्थापना कर उनका प्रबन्ध करना। आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं अनुसंधान तथा योग एवं व्यायाम की जानकारी से आम जनमानस को लाभ पहूँचाना।

6. विकलांगों के विकास हेतु कार्य करना तथा उन्हें कृत्रिम अंग प्रदान करना व सरकार के कार्यो में सहयोग करना।

Hrishikesh

Lalit Saxena

Oct 2021

7. गरीब छात्र/छात्राओं को आत्म निर्भर बनाने हेतु विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करना।

8. गरीब छात्र/छात्राओं को ज्ञानवर्धन हेतु पुस्तकालय, वाचनालय, आंगनवाड़ी, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, अनोपचारिक शिक्षा केन्द्र एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सभी वर्ग के छात्र/छात्राओं को शिक्षित करना।

9. युवा प्रतिभाओं को वाद विवाद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम द्वारा प्रोत्साहित करना, विभिन्न प्रकार के खेलों की प्रतियोगिता का आयोजना करना व युवा केन्द्र, गौशाला आदि खोलना एवं उन्हें संचालित करने के लिए प्रशिक्षण देना।

10. वर्तमान में फैली कुरीतियों, अन्धविश्वास, क्षेत्रवाद, दहेज प्रथा आदि को दूर करने में मदद करना तथा स्वच्छ समाज की स्थापना करना। ।

11. ट्रस्ट द्वारा निराश्रित महिलाओं, महिला श्रमिक, बाल श्रमिक, विकलांगों, वृद्धों के लिए आश्रम का निर्माण करना, उपभोक्ता सरंक्षण कार्यक्रमों आदि का आयोजन करना प्रशिक्षण कैम्पों का आयोजन करना एवं हर संभव सहायता करना।

12. प्रदेश, देश व अर्न्तराष्ट्रीय देशों की सामाजिक संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर दान, अनुदान प्राप्त करना।

13. ट्रस्ट की उन्नति के लिये शासन से सम्पर्क कर सहायता प्राप्त करना, उसको विकास कार्यों में लगाना।

14. छात्र/छात्राओं की शारीरिक, मानसिक, भौतिक, अध्यात्मिक, चारित्रिक एवं सांस्कृतिक विकास करना।

Oct 2021

15. असहाय महिलाओं का शारीरिक मानसिक, भौतिक, अध्यात्मिक, चारित्रिक एवं सांस्कृतिक विकास करना।

16. छात्र/छात्राओं को नई शिक्षा निति के अन्तर्गत अध्ययन की सुविधा प्रदान करना एवं सरकार की सहायता से कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करना।

17. छात्र/छात्राओं को गौवंश आधारित छोटे–छोटे उपयोगी उद्योगों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिये निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना, तथा धर्मार्थ चिकित्सा केन्द्र खोलना।

18. समाज कल्याण निदेशालय तथा केन्द्र सरकार व अन्य प्रतिष्ठान के समय अनुसार सहायता प्रदान करना।

19. वैकल्पिक शिक्षा सामुदायिक सहभागिता बालिका शिक्षा तथा विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिये कार्य करना।

20. समाजुत्पादक उपयोगी कार्य तथा क्राफ्ट, कढ़ाई, सिलाई, जरदोजी, वुड क्राफ्ट, बुनाई, रंगाई, चर्म कार्य आदि रोजगारक शिल्पों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

21. गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करना एवं व्यवस्था करना।

22. भारतीय जनता में सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ग्रामोद्योग, अध यात्मिक, व्यवसायिक एवं शैक्षिक उन्नति का प्रयास करना।

Hishikesh

LalitSharma

23. जन कल्याण के लिये कल्याणकारी साहित्यिक एवं ग्रामोद्योग सेवाओं को उपलब्ध करना।

24. संक्रमिक रोगों जैसे एड्स, पोलियो, हैपेटाइटिस बी0, टी0बी0, बर्ड फ्लू, कोरोना आदि रोगों की रोकथाम के लिए प्रचार प प्रसार करना व परिवार कल्याण आदि आयोजनों का संचालन करना तथा आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग प्राथमिकता के आधार पर करना।

25. पर्यावरण संरक्षण लघु, वित्त, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा ग्रामीण, उर्जा, सतत विकास, आपदा प्रबन्धन, आवास निर्माण बाल श्रम, विकलांगों के भरण–पोषण, शैक्षिक तथा रोजगार शिक्षण/प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था एवं प्रबन्ध करना।

26. कम्प्यूटर शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना एवं उनका संचालन एवं प्रबन्धन करना।

27. ट्रस्ट (न्यास) देश में किसी भी राज्य अथवा स्थान पर वैध गौ शालाएं आदि स्थापित कर आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य कर सकता है। समय समय पर सरकार द्वारा गौ सरंक्षण हेतु चलाये जाने वाली योजनाएं जिनसे समाज एवं गौमाता का हित होता हो, उनका लाभ लेना।

28 .ट्रस्ट संस्थाओं हेतु कौशल विकास आदि योजनाओं का लाभ ले सकता है।

29. मादक पदार्थो के सेवन में ग्रस्त व्यक्तियें के लिए निरोधात्मक व सुधारात्मक कार्य करना। नशामुक्ति केन्द्र का संचालन एवं चिकित्सा व उपचार करना।

30. ट्रस्ट द्वारा धार्मिक पर्वो पर निशुल्क भंडारा एवं सहायता शिविर आदि लगाना।

31. महिलाओं के सर्वोगीण विकास हेतु विद्यालय, महाविद्यालय, निराश्रित महिला कल्याण केन्द्रों, नारी निकेतनों, शिल्प कला केन्द्रों, बाल शिशु पालन, सिलाई, कढ़ाई, कताई, बुनाई, नृत्य, गायक, वादन, एकांकी नाटक आदि के शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलना एवं संचालन व प्रबन्ध करना तथा वे समस्त कार्य करना जिनके द्वारा निर्धन, पीड़ित, दलित महिलाओं की लड़कियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर को बढ़ाया जा सके।

32. समाज में राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, धर्म निर्पेक्षता, सर्व धर्म समाज, साम्प्रदायिक, सदभावना एवं राष्ट्रीय प्रेम की भावना को जागृत करना।

33. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भूमि क्रय करना, भूमि लीज पर देना, उस भूमि पर निर्माण कार्य कराना तथा स्कूल कालिजों, अस्पताल आदि का भवन निर्मित कराना।फ

34. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चन्दा, दान, अनुदान, ऋण आदि प्राप्त करना तथा ट्रस्ट की आय बढ़ाने हेतु सक्षम व्यक्तियों से आर्थिक व नैतिक सहायता प्राप्त करना।

35. ट्रस्ट के उद्देश्यों हेतु कृषि भूमि तथा अन्य अचल सम्पत्ति खरीदना, प्राप्त करना, लीज पर लेना, उन्हें कय विकय करना, हस्तान्तरण करना तथा कृषि भूमि पर कृषि कार्य कराना।

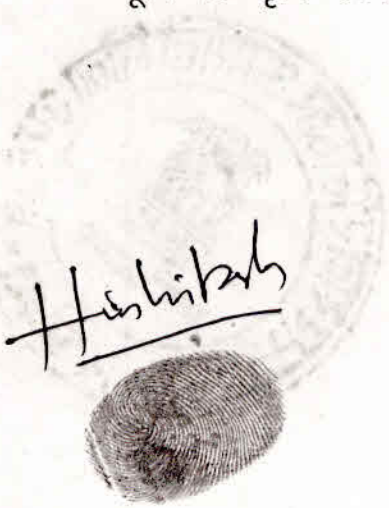

10. **कार्य क्षेत्र –**

न्यास का कार्यक्षेत्र समस्त भारत वर्ष होगा।

11. **न्यास का प्रबंधन एवं संचालन**

11.1 न्यास ट्रस्ट का संचालन सुचारू रूप से शुरू करने के लिए प्रन्यासी मंडल का गठन किया जायेगा जो कि न्यास के कोष एवं सम्पत्तियों आदि के संचालन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। इस प्रन्यासी मण्डल में निम्न सदस्यों को शामिल किया जा सकेगा।

अ. **संस्थापक–मुख्य प्रन्यासी सदस्य –**

न्यास ट्रस्ट में संस्थापक प्रन्यासी सदस्य ही मुख्य प्रन्यासी सदस्य होगें। इनकी अधिकतम संख्या 05 होगी। यह सभी 05 संस्थापक–मुख्य प्रन्यासी सदस्य बिना किसी चुनाव आदि के सीधे ही प्रत्येक स्थिति में प्रन्यासी मण्डल के सदस्य होगें। न्याय के वर्तमान 05 संस्थापक प्रन्यासी सदस्यों का उल्लेख पूर्व में कर दिया गया है। इन मुख्य प्रन्यासी सदस्यों की सदस्यता आजीवन होगी तथा इन सभी सदस्यों को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का भी अधिकार होगा।

उत्तराधिकारी नियुक्त किये बिना मृत्यु होने पर उस सदस्य के उत्तराधिकारियों में से किसी एक को अथवा ज्येष्ठ पुत्र को उस सदस्य के स्थान पर सदस्यता देने का निर्णय शेष संस्थापक प्रन्यासी सदस्यों को होगा। संस्थापक प्रन्यासी सदस्यों को किसी भी स्थिति में (न्यायालय के आदेशों अथवा विधिसम्मत स्थिति अथवा त्याग पत्र देने की स्थिति के अतिरिक्त) उनके पद अथवा सदस्यता अथवा अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकेगा।

मुख्य प्रन्यासी सदस्य अपनी इच्छा से अपने पद अथवा सदस्यता से त्याग पत्र दे सकते हैं जिसे अध्यक्ष तथा सचिव द्वारा स्वीकृत किये जाने पर ही मान्यता दी जायेगी। इस प्रकार रिक्त पद को अन्य मुख्य प्रन्यासी सदस्यों द्वारा शेष मुख्य प्रन्यासी सदस्यों में से अथवा नये मुख्य प्रन्यासी सदस्य को सदस्यता प्रदान कर अथवा साधारण प्रन्यासी सदस्य की सदस्यता को मुख्य प्रन्यासी सदस्य के रूप में परिवर्तित कर भरा जायेगा।

प्रन्यासी मण्डल के अन्य साधारण सदस्यों ट्रस्टी का चयन केवल मुख्य प्रन्यासी सदस्यों द्वारा आपसी सहमति/बहुमत के आधार पर किया जायेगा तथा अन्य साधारण प्रन्यासी सदस्यों को उनके पदों से हटाने अथवा सदस्यता समाप्त करने का अधिकार/निर्णय भी केवल मुख्य प्रन्यासी सदस्यों द्वारा आपसी सहमति/बहुमत के आधार पर लिया जायेगा।

ब. **साधारण न्यासी सदस्य**

संस्थापक प्रन्यासी सदस्य आपसी सहमति से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों में से अथवा अपने क्षेत्रों में विशिष्ट पहचान रखने वाले व्यक्तियों में से अथवा सामाजिक कार्यक्षेत्र में योगदान रखने वाले अथवा ट्रस्ट के उद्देश्यों के प्रति समर्पण रखने वाले व्यक्तियों को आवश्यकता पड़ने पर साधारण न्यासी के रूप में न्यास की साधारण सदस्यता प्रदान कर सकते हैं। इन सदस्यों को सदस्यता देने के सम्बन्ध में निर्णय पूर्णतः संस्थापक/मुख्य प्रन्यासी सदस्यों का आपसी सहमति से होगा तथा इस निर्णय को किसी भी न्यायालय आदि में चुनौती नहीं दी जा सकेगी तथा उनकी सदस्यता को समाप्त करने अथवा पद से हटाने का निर्णय संस्थापक प्रन्यासी सदस्यों द्वारा आपसी सहमति/बहुमत के आधार पर कभी भी लिया जा सकेगा। इन सदस्यों को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव अथवा कोषाध्यक्ष के मुख्य पदों पर भी नियुक्त नहीं किया जा सकेगा तथा इन्हें उपरोक्त पदों के चुनाव में भी वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

स. **पदेन प्रन्यासी सदस्य**

ट्रस्ट के द्वारा संचालित संस्थाओं के प्राचार्य, अध्यापक, प्रतिनिधि तथा गैर शिक्षक कर्मचारियों को भी आवश्यकता पड़ने पर पदेन प्रन्यासी सदस्य बनाया जा सकता है परन्तु इन सदस्यों की सदस्यता अस्थायी होगी तथा इनका कार्यकाल केवल एक वर्ष तक होगा तथा यह वरिष्ठता के चक्रीय क्रम में स्वतः ही परिवर्तित होते रहेगें। ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा आवश्यकता समाप्त होने पर अध्यक्ष तथा सचिव द्वारा इनका कार्यकाल समय पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है। इन सदस्यों को किसी भी विषय या चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होगा तथा यह केवल अपना परामर्श बैठक में दे सकते हैं।

Hrishikesh Lalit Saxena

)ct 2021

11.2 साधारण स्थितियों में प्रन्यासी मण्डल में सदस्यों की संख्या 05 होगी जो कि मुख्य प्रन्यासी सदस्यों में से ही होगें परन्तु आवश्यक परिस्थितियों में यह संख्या अधिकतम 11 तक भी हो सकती है तथा पदेन प्रन्यासी सदस्य आवश्यकता पड़ने पर इनके अतिरिक्त भी हो सकते हैं। उपरोक्त सदस्य संख्या 05 मुख्य प्रन्यासी सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्य साधारण न्यासी सदस्यों में से चुने जायेगें परन्तु साधारण न्यासी सदस्यों को कार्य समिति के मुख्य पदों पर जैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, प्रबंधक व कोषाध्यक्ष हेतु नहीं चुना जा सकेगा तथा साधारण न्यासी सदस्यों को उपरोक्त पदों हेतु चुनाव में वोट देने का अधिकार भी नहीं होगा, वे केवल कार्य समिति के सदस्य के रूप में शामिल हो सकते हैं तथा इसी पद हेतु नामित व्यक्ति को उन्हें अपना मत देने का अधिकार होगा।

11.3 प्रन्यासी मण्डल अपने न्यासीगणों में से पांच सदस्य कार्यसमिति का गठन करेगें जिनमें निम्न पद होगें –

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, प्रबंधक, कोषाध्यक्ष और सदस्य।

उपरोक्त पदों पर केवल संस्थापक/मुख्य प्रन्यासी सदस्यों अथवा उनके उत्तराधिकारियों को ही नामित किया जा सकेगा। उपरोक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पदों का सृजन भी मुख्य प्रन्यासी सदस्य आपसी सहमति से कर सकते हैं जिस पर कार्यसमिति के किसी भी सदस्य को कार्यसमिति द्वारा आपसी सहमति या बहुमत द्वारा चुना जा सकेगा।

11.4. कार्यसमिति का कार्यकाल 05 वर्ष रहेगा तथा प्रत्येक 05 वर्ष पश्चात नवीन कार्यसमिति का गठन किया जायेगा जिसमें उपरोक्त पदों हेतु नामित सदस्य के पक्ष में वोट देने का अधिकार केवल संस्थापक/मुख्य प्रन्यासी सदस्यों को ही होगा।

11.5 आम स्थितियों में कार्यसमिति की बैठक में भाग लेने का अधिकार केवल कार्य समिति के सदस्यों को ही होगा। कार्य समिति के सदस्य आवश्यकतानुसार न्यास के अन्य सदस्यों को कार्यसमिति की बैठक हेतु आमंत्रित कर सकते हैं।

11.6 कार्यसमिति के कार्यकाल के मध्य रिक्त स्थान की पूर्ति अध्यक्ष द्वारा प्रन्यासी सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को नामित कर की जायेगी। यह नियुक्ति केवल कार्यसमिति का कार्यकाल पूर्ण होने तक ही होगी।

11.7 न्यास एवं न्यास द्वारा संचालित संस्थानों के संचालन हेतु न्यास की कार्यसमिति ही पूर्ण रूप से अधिकृत होगी।

11.8 न्यास/ट्रस्ट की प्रथम कार्यसमिति पांच सदस्य निम्न प्रकार होगी –

1.	हृषिकेश पाण्डेय	अध्यक्ष
2.	ललित शमा	प्रबंधक
3.	मीनाक्षी पाण्डेय	कोषाध्यक्ष
4.	मुस्कान शर्मा	सचिव
5.	लक्ष्मी दुबे	सदस्य

12. कार्यसमिति के पदाधिकारियों के दायित्व एवं अधिकार –

12.1 अध्यक्ष के दायित्व एवं अधिकार –

क. सभी बैठकों एवं सभाओं की अध्यक्षता करना/सभापति तय करना।

ख. ट्रस्ट की बैठकों को समय से बुलाने हेतु व ट्रस्ट का संचालन सुचारू रूप से करने के लिए सचिव को निर्देश देना व सहयोग करना।

ग. ट्रस्ट के दस्ताबेजों, अभिलेखों आदि पर हस्ताक्षर करना तथा ट्रस्ट की सभी कानूनी कार्यवाही में सचिव को सहयोग करना।

घ. किसी भी प्रस्ताव पर कार्यसमिति या प्रन्यासी मण्डल की सभा में समान मत आने पर निर्णायक मत देना।

ड. कार्यसमिति का विघटन होने पर नियमानुसार सचिव को कार्य संचालन का निर्देश देना व नई कार्यसमिति के गठन की प्रक्रिया को पूर्ण करना।

4Oct 2021

12.2 सचिव के दायित्व एवं अधिकार –

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्यो का निर्वाह करना किन्तु सचिव के द्वारा किये गये वही कार्य वैद्य होगें जिनका अनुमोदन अध्यक्ष द्वारा करा लिया जायेगा।

12.3 प्रबंधक के दायित्व एवं अधिकार –

क. अध्यक्ष के निर्देशानुसार समय समय पर कार्यसमिति एवं प्रन्यासी मण्डल की बैठक बुलाना।

ख. बैठक की कार्यवाही को लिपिबद्ध करना एवं बैठक में रखे गये प्रस्तावों एवं सुझावों हेतु आवश्यक प्रपत्र संकलित करना।

ग. ट्रस्ट के द्वारा अथवा ट्रस्ट के विरूद्ध चलने वाले न्यायिक कार्यो मुकदमों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना अथवा किसी को अधिकृत करना।

घ. न्यास के दैनिक कार्यो के संचालन हेतु न्यास के हित में निर्णय लेना एवं न्यास द्वारा संचालित संस्थानों द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना।

ड. ट्रस्ट के समस्त आय व्यय, दान, अनुदान, ऋण चन्दा आदि का लेखा जोखा रखना।

च. ट्रस्ट के वार्षिक आय व्यय का विवरण आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट तथा ट्रस्ट के वार्षिक कार्यो की आख्या तैयार करना तथा कार्य समिति के समक्ष रखना।

छ. ट्रस्ट के सभी सदस्यों को जिनसे ट्रस्ट का सम्बन्ध है, अपने संरक्षण में रखना और आवश्यकतानुसार उनका उपयोग करना।

ज. ऐसे किसी भी विषय में जिसमें प्रन्यासी मण्डल अथवा कार्य समिति के सदस्यों से परामर्श करने का समय न हो तुरन्त निर्णय लेकर कार्यवाही करना।

झ. ट्रस्ट के सभी बैंक खातों का संचालन, अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के साथ सयुंक्त रूप से करना।

Hushikesh

Lalitsharma

4Oct 2021

12.4 **कोषाध्यक्ष के दायित्व एवं अधिकार –**

क. ट्रस्ट के सभी वित्त सम्बन्धी कार्य अध्यक्ष के निर्देशानुसार करना।

ख. आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करके अध्यक्ष को प्रस्तुत करना।

ग. अध्यक्ष व प्रबंधक के निर्देशानुसार बिलों का भुगतान करना।

घ. प्राप्त दान/अनुदान/चन्दा तथा ऋण आदि का लेखा जोखा रखना।

ड. आगामी वित्त वर्ष के लिए अध्यक्ष की सहायता से ट्रस्ट का बजट तैयार करना।

12.5 **सदस्य कार्यकारिणी के दायित्व एवं अधिकार –**

क. अध्यक्ष के कार्यो में सहयोग करना।

ख. कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ विषयों पर अपना मत प्रस्तुत करना।

ग. ऐसे सभी कार्यो में सहयोग देना जिनमें अध्यक्ष तथा प्रबंधक उनके अपेक्षा करें।

12.6 **पदेन सदस्यों के दायित्व –**

क. संस्था के विकास एवं संचालन के महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में ट्रस्ट की कार्यकारिणी को अवगत कराना तथा अपनी सलाह देना।

ख. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति में सहयोग करना तथा उनके आचरण एवं कार्य व्यवहार के सम्बन्ध में अपनी आख्या अध्यक्ष को देना।

ग. संस्था के संचालन में अध्यक्ष को सहयोग करना।

घ. कार्यकारिणी के चुनाव को छोड़कर वे सभी कार्यो में भाग लेगें जिनमें कार्यकारिणी द्वारा उन्हें शामिल किया जायेगा।

13. **कार्यसमिति व प्रन्यासी मण्डल की बैठक –**

सामान्य स्थितियों में कार्यसमिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में तथा प्रन्यासी मण्डल की बैठक एक वर्ष में बुलायी जायेगी परन्तु आपात/आवश्यक परिस्थिति में इन्हें कभी भी बुलाया जा सकता है। बैठक हेतु 07 दिन पूर्व सदस्यों को सूचना दी जायेगी परन्तु आपात स्थिति में मात्र 01 दिन पूर्व अथवा उसी दिन भी सूचना देकर बैठक बुलायी जा सकती है।

14. <u>बैठक का कोरम</u>

<u>क.</u> कार्यसमिति व प्रन्यासी मण्डल की बैठक में 75 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। यह बैठक का कोरम होगा। इससे कम उपस्थिति होने पर बैठक स्थगित कर नई तिथि पर बैठक दुबारा बुलायी जायेगी।

ख. कोरम के अभाव में स्थगित होने पर दुबारा बुलाई गई बैठक के लिए कोरम की पूर्ति की अनिवार्यता नहीं होगीं

15. <u>कार्यसमिति का चुनाव व गठन</u>

कार्यसमिति का गठन प्रत्येक 05 वर्ष हेतु किया जायेगा परन्तु अपरिहार्य कारणों/स्थितियों मे अध्यक्ष, प्रबंधक, सचिव व कोषाध्यक्ष की परस्पर सहमति से 05 वर्ष से पूर्व भी कार्य समिति का विघटन कर नई कार्य समिति का गठन किया जा सकता है। कार्यसमिति में कम से कम 04 सदस्य मुख्य प्रन्यासी सदस्यों में से लिये जायेगें तथा यदि कार्यसमिति में अन्य सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव हो तो शेष सदस्य साधारण प्रन्यासी सदस्यों में से चुने जायेगें। सदस्य पद हेतु नामित व्यक्ति को मत देने का अधिकार सभी प्रन्यासी सदस्यों को होगा। चुनाव की घोषणा कार्यसमिति का कार्यकाल पूर्ण होने के एक माह पूर्व की जायेगी तथा समस्त चुनाव कार्यवाही एक ही दिवस में पूर्ण की जायेगी।

16. **न्यास के समुचित प्रबंधों के लिए कार्यसमिति को निम्न अधिकार होगें –**

1. न्यास के धन का उपयोग न्यास के समस्त उद्देश्यों अथवा किसी एक विशिष्ट उददेश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यय करने का अधिकार होगा। न्यास के शेष अतिरिक्त धन का विनियोग आयकर कानून 1961 के अनुसार किया जायेगा।

2. न्यास के लिए दान, भेंट में धन अथवा सम्पत्ति प्राप्त कर उसको पूँजी के रूप में प्रयोग करना अथवा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग करना।

3. न्यास की सम्पत्ति को किराये, लीज आदि पर देना, चल अचल, दर्शनीय–अदर्शनीय सम्पत्ति के सम्पूर्ण स्वामित्वों के अधिकारों उनसे प्राप्त लाभों तथा उनकी व्यवस्था का अधिकार होगा। संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यास की किसी भी सम्पत्ति को बेचना आदि।

4. न्यास के कोष को मुख्य प्रन्यासी मण्डल के निर्देशानुसार समय समय पर विनियोग करना, उसको निकालना, दूसरे स्थान पर विनियोग करना एवं विनियोग धन को वापिस प्राप्त करना आदि।

5. किसी भी प्रकार के विवाद में आवश्यकतानुसार निर्णय लेना एवं विवाद हल न होने पर न्यास के समापन पर न्यास की सम्पत्ति को मुख्य प्रन्यासी सदस्यों के बहुमत से केवल सम उद्‌देश्य वाली पंजीकृत संस्था/समिति को ही हस्तान्तरित करना।

6. न्यास के उद्‌देश्यों की पूर्ति हेतु बैंक संस्था व्यक्ति प्रन्यासीगण एवं कम्पनियों से ऋण प्राप्त करना एवं इस निमित्त संस्था की जमीन जायदाद को गिरवी रखना आदि।

7. कार्यसमिति न्यास के संचालन के लिए पूर्ण रूप से अधिकृत होगी एवं कार्यसमिति के समस्त सदस्य अपने पदों के अनुरूप अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करेगें।

8. कार्यसमिति न्यास के दिन प्रतिदिन के उचित प्रबंध के लिए आवश्यकतानुसार किसी योग्य व्यक्ति को पूर्णकालिक/अंशकालिक प्रशासक नियुक्त कर सकेगी। प्रशासक के कार्यकाल तथा वेतनमान और उसके कार्यो/दायित्वों का निश्चय प्रन्यासी मण्डल करेगा।

9. न्यास का धन किसी राष्ट्रीयकृत/सरकारी/शैडयुल बैंक में रखा जायेगा। बैंक खातों का संचालन अध्यक्ष, सचिव तथा कोषाध्यक्ष के सयुंक्त हस्ताक्षरों द्वारा (या कोई भी दो) द्वारा होगा। आवश्यकता होने पर संस्था के छात्र निधि अथवा अन्य आवश्यक खातों का संचालन सचिव तथा प्राचार्य सम्बन्धित प्राध्यापक/कर्मचारी के सयुंक्त हस्ताक्षरों द्वारा होगा।

10. कार्यसमिति, न्यास के आय–व्यय की जांच के लिए निश्चित अबधि के लिए चार्टड एकाउण्टेंन्ट नियुक्त करेगी तथा उसके कार्य के लिए पारिश्रमिक मानदेय भी निश्चित करेगी।

11. न्यास कसे हुई हानि के लिए कोई प्रन्यासी अथवा प्रन्यासी मण्डल का पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से तब तक उत्तरदायी नहीं माना जायेगा जब तक यह सिद्ध नहीं होगा कि उसने निहित स्वार्थवश, जानबूझ कर न्यास को हानि पहूँचाई है।

Hrishikesh Labhslaena

Oct 2021

12. न्यास के नियमों आदि की परिभाषा के सम्बन्ध में उत्पन्न विवाद में न्यास के अध्यक्ष का निर्णय सभी को मान्य, अन्तिम होगा।

17. **सदस्यता समाप्ति –**

निम्न कारणों से किसी प्रन्यासी की सदस्यता समाप्त होगी।

1. त्याग पत्र देने तथा उसके स्वीकृत होने अथवा मृत्यु होने पर।
2. किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित होने पर अथवा किसी अनैतिक अपराध में दंडित होने पर।
3. पागल होने पर ।
4. न्यास के हितों के विपरीत कार्य करने पर मुख्य प्रन्यासी मण्डल द्वारा उनके 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर ।
5. अध्यक्ष द्वारा हटाये जाने पर ।

18. न्यास के समस्त सम्पत्ति और आय का उपयोग न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जायेगा। लाभांश, सुविधा, अनुग्रह आदि के रूप में अथवा न्यास की किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के किसी भी अंश मात्र को भी प्रन्यासीगण को ना तो प्रदान और ना ही हस्तान्तिरत किया जा सकेगा। आयकर अधिनियम और देश के कानून के अनुसार माने जाने वाले निहित स्वार्थो वाले लोगों को भी यह नहीं हो सकेगा परन्तु न्यास की उसके हितार्थ सेवा करने वाले कर्मचारियों, अन्य व्यक्तियों तथा प्रन्यासीगण को सेवा कार्य के आधार पर समय समय पर वेतन, पारिश्रमिक आदि प्रदान करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस वेतन, पारिश्रमिक का निर्णय किये गये कार्य तथा कार्य करने वाले की योग्यता के आधार पर समय समय पर कार्यकारिणी द्वारा किया जायेगा।

Harish Kapoor   Lalit Saxena

4Oct 2021

19. **न्यास भंग होने पर**

प्रन्यासी मंडल द्वारा उनके 2/3 प्रन्यासीगणों के निर्णय से न्यास को भंग किया जा सकेगा। न्यास /ट्रस्ट भंग होने पर न्यास की समस्त देनदारी का भुगतान करने के उपरान्त शेष धन तथा चल अचल सम्पत्ति को किसी दूसरी अथवा अनेक समान उद्देश्य वाली संस्थाओं को प्रदान किया जायेगा। इसका निर्णय भी कार्यसमिति द्वारा सर्वसम्मति से किया जायेगा। किसी भी दशा में न्यास की सम्पत्ति को प्रन्यासी मण्डल के सदस्यों में नहीं बांटा जा सकेगा।

20. उत्तर प्रदेश शासन की राजाज्ञा संख्या 2762/15–13–91–41461/91 दिनांक 31.11.1991 के अनुपालन में तथा सी0बी0एस0ई0पाठयक्रम में सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रतिबन्धों को स्वीकार कर लिया गया है।

1. न्यास के माध्यम से संचालित होने वाले विद्यालय की प्रबंधन समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

2. न्यास के माध्यम से संचालित होने वाले विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेघावी छात्रों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

3. न्यास द्वारा संचालित विद्यालय के लिए राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से या बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/काउंसिल फॉर दि इंडियन स्कूल सार्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उसका परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

4. न्यास द्वारा संचालित विद्यालय के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतन मान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगें।

5. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जायेगीं और उन्हें अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमय सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।

6. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें न्यास/संस्था उसका पालन करेगीं

7. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

8. यू0 पी0 एजूकेशन कोड की धारा 105 व 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गो के छात्रों को शुल्क मुक्ति प्रदान की जायेगी।

9. उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

विशेष– ट्रस्ट और न्यास तथा ट्रस्टी, ट्रस्टीगण और प्रन्यासी पर्यायवाची शब्द हैं संस्था का अर्थ न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं से है।

ह0 अध्यक्ष

ह0 प्रबंधक

ह0 कोषाध्यक्ष

ह0 सदस्य

ह0 सदस्य

गवाह–1
अनुराग शर्मा
पुत्र श्री रविन्द्र कुमार शर्मा
ग्राम जलालपुर धना
तहसील व जिला अमरोहा
आधार न0 610315044562

गवाह–2
प्रदीप कुमार
पुत्र श्री कुवंर सैन
मौहल्ला प्रेम नगर
गजरौला तहसील धनौरा अमरोहा
आधार न0 496146264891

न्यास विलेख आज दिनांक 06.10.2021 को बमुकाम अमरोहा में बमसौदा अनिल कुमार दस्ताबेज लेखक द्वारा टाइप कराया गया।

ANIL KUMAR DEED WRITER
Tehsil Compound, Amroha
Lic. No. 10A/2016/2017